



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1942 (श10)

(सं0 पटना 792) पटना, मंगलवार, 13 अक्टूबर 2020

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर 2020

सं० अ०सं०क०-10-15 (वक्फ)-04/2020-2011—वक्फ अधिनियम, 1995, (यथा संशोधित 2013) की धारा 14 (9) के अधीन प्रदत्त शक्ति के तहत बिहार सरकार अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित व्यक्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाते हैं। वे वक्फ अधिनियम 1995, (यथा संशोधित 2013) की धारा 15 के अधीन अधिसूचना निर्गत की तिथि से पाँच वर्षों तक (संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य अपने कार्यकाल तक तथा राज्य सरकार के पदाधिकारी अपनी सेवाकाल तक या पाँच वर्ष जो पहले हो) बोर्ड के सदस्य के रूप में पद धारण करेंगे।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पता	उम्र	यदि निर्वाचित सदस्य हो तो निर्वाचक मंडल का नाम	यदि नाम निर्दिष्ट हो तो नाम निर्देशन की कोटि का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री डॉ० अहमद अशफाक करीम	गोदावरी अपार्टमेन्ट के पीछे, अशियाना मोड़, पटना 800014	64	संसद के वर्तमान मुस्लिम सदस्य	---	---
2	श्री मो० शरफुद्दीन	अम्बा कला टोला, महुआवा, शिवहर	61	विधान मंडल के वर्तमान मुस्लिम सदस्य	---	---
3	श्री एम० सैदुल्लाह	ग्राम-बेलदारी, पोस्ट-बेतिया मुफस्सिल, जिला- प० चम्पारण	67	राज्य विधिज्ञ परषिद के वर्तमान सदस्य	---	---
4	श्री सैयद मोहम्मद सैफुद्दीन	मोहल्ला- खानकाह, थाना-लहेरी, पोस्ट बिहार शरीफ, नालंदा	57	मोतवल्ली	---	---

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पता	उम्र	यदि निर्वाचित सदस्य हो तो निर्वाचक मंडल का नाम	यदि नाम निर्दिष्ट हो तो नाम निर्देशन की कोटि का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
5	श्री अल्हाज मो० इरशादुल्लाह	ग्राम- वाजिदपुर, पोस्ट बाढ़, जिला-पटना	63	---	मुस्लिम संगठन	---
6	श्री प्रो० सैयद शाह शमीम मुनअमी	खानकाह मुनेमिया, मीतनघाट, पटना सिटी-8 जिला-पटना	60	---	मुस्लिम विद्वान	---
7	श्री एस०एम० कैसर सुल्तान	आयुक्त के सचिव, पटना, प्रमंडल, पटना	56	---	राज्य सरकार के पदाधिकारी	---

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 792-571+50-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>